

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है। संक्षिप्त नाम.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, धारा ३०१ में, उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्— मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन्
१९५६ का संशोधन.

“(५) ऐसे मालमों में, जहाँ रजिस्ट्रीकृत तथा प्राधिकृत वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर द्वारा धारा २९४ की उपधारा (५) के उपबंधों के अनुसार भवन अनुज्ञा प्रदान की गई है वहाँ ऐसे वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर, कानूनी उपबंधों तथा भवन अनुज्ञा की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात्, ऐसे भवन के लिए पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा जारी करने हेतु सशक्त होंगे। इस उपधारा के अधीन जारी पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा की एक प्रति आयुक्त को उसके कार्यालय में सात दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।”

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा १९१ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्— मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३७ सन्
१९६१ का संशोधन.

“(३) ऐसे मामलों में, जहाँ रजिस्ट्रीकृत तथा प्राधिकृत वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर द्वारा धारा १८७ की उपधारा (३क) के उपबंधों के अनुसार भवन अनुज्ञा प्रदान की गई है वहाँ ऐसे वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर, कानूनी उपबंधों तथा भवन अनुज्ञा की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात्, ऐसे भवन के लिए पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा जारी करने हेतु सशक्त होंगे। इस उपधारा के अधीन जारी पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा की एक प्रति परिषद् कार्यालय में सात दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।”

४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ६ सन् २०१७) एतद्वारा निरसित निरसन तथा व्यावृत्ति किया जाता है।

(२) उक्त अध्यादेश का निरसन होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अंधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में कतिपय संशोधन किए जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संशोधन की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:—

- (१) शहरी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” के अधीन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना आवश्यक है। राज्य शासन द्वारा भवन अनुज्ञा जारी करने के लिए रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् तथा संरचना इंजीनियर को प्राधिकृत किया गया है। वर्तमान में, भवन निर्माण के पश्चात् भवन निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने या उपयोग करने की अनुज्ञा आयुक्त या नगरीय स्थानीय निकायों की परिषद् द्वारा जारी की जाती है।
- (२) रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् तथा संरचना इंजीनियरों को यह अनुज्ञा जारी करने हेतु प्राधिकृत किए जाने के लिये मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ३०१ में तथा नगरपालिका अधिनियम, १९६१ की धारा १९१ में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, इसलिए मध्यप्रदेश नगरपालिक (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ६ सन् २०१७) इस प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया गया था। अतएव, उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपांतरण के राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

दिनांक २८ नवम्बर, २०१७।

माया सिंह
भारसाधक सदस्य।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड दो तथा तीन द्वारा भवन अनुज्ञा शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा भवन के पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा जारी किए जाने हेतु वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर को प्राधिकृत किये जाने के संबंध में विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, जो सामान्य स्वरूप की होंगी।

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।

अध्यादेश के संबंध में विवरण

शहरी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए “ईज ऑफ इंडिंग विजनेस” के अधीन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना आवश्यक है। राज्य शासन द्वारा भवन अनुज्ञा जारी करने के लिए रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर को प्राधिकृत किया गया है। वर्तमान में भवन निर्माण के पश्चात् भवन निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने या उपयोग करने की अनुज्ञा आयुक्त या नगरीय स्थानीय निकायों की परिषद् द्वारा जारी की जाती है।

२. रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् तथा संरचना इंजीनियरों को यह अनुज्ञा जारी करने हेतु प्राधिकृत किए जाने के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम अधिनियम, १९५६ की धारा ३०१ में तथा नगर पालिका अधिनियम, १९६१ की धारा १९१ में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा सत्र चालू नहीं था, इसलिए मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ६ सन् २०१७) इस प्रयोजन हेतु प्रछापित किया गया था।

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।

उपाबंध

**मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१
(क्रमांक ३७ सन् १९८१) से उद्धरण.**

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) से उद्धरण.

(एक) उपधारा (५) “ऐसे मामलों में, जहां रजिस्ट्रीकृत तथा प्राधिकृत वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर द्वारा इंजीनियर द्वारा २९४ की उपधारा (५) के उपबंधों के अनुसार भवन अनुज्ञा प्रदान की गई है वहां ऐसे वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर, कानूनी उपबंधों तथा भवन अनुज्ञा की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात्, ऐसे भवन के लिए पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा जारी करने हेतु सशक्त होंगे। इस उपधारा के अधीन जारी पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा की एक प्रति आयुक्त जारी करने हेतु सशक्त होंगे। इस उपधारा के अधीन जारी पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा की एक प्रति आयुक्त को उसके कार्यालय में सात दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।”

* * * * *

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९८१) से उद्धरण.

(एक) उपधारा (३) “ऐसे मामलों में, जहां रजिस्ट्रीकृत तथा प्राधिकृत वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर द्वारा धारा १८७ की उपधारा (३) के उपबंधों के अनुसार भवन अनुज्ञा प्रदान की गई है वहां ऐसे वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर, कानूनी उपबंधों तथा भवन अनुज्ञा की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात्, ऐसे भवन के लिए पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा जारी करने हेतु सशक्त होंगे। इस उपधारा के अधीन जारी पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा की एक प्रति परिषद् कार्यालय में सात दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।”

* * * * *

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.